वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषकः

कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर

पत्रांकः पू.विवि../सम्ब /01– (तीन)/2013/2410
दिनांकः 28-9-2013

सेवा में,

प्रबन्धक,
प्रस्तावित–रामसकल स्मारक महाविद्यालय,
गोरथानी अतरौलिया, आजमगढ़।

विषयः– स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक–19.08.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने **शासनादेश दिनांक–09 मई, 2000** के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **03 अथवा 05 वर्ष की संविदा** के आधार पर **प्राचार्य** पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि **इनके अंक–पत्रों/प्रमाण–पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें।** महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद
डॉ0 बिलास त्रिपाठी	श्री झन्ना लाल तिवारी	01.01.1958	पी.एच–डी.–1984	प्राचार्य

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति प्राचार्य एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा **प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रुप से लागू किया जाय।**

भवदीय
28/9

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषकः

कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर

पत्रांकः पू.विवि./सम्ब /01– (तीन)/2013/ 1849
दिनांकः 29-8-2013

सेवा में,

प्रबन्धक,
प्रस्तावित–रामसकल स्मारक महाविद्यालय,
गोरथारी, अतरौलिया, आजमगढ़।

विषयः– स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में चयनित प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक– 19.08.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति, एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक–09 मई 2000 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 अथवा 05 वर्ष की संविदा के आधार पर चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि इनके अंक–पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	विषय	शैक्षिक अर्हता
1. श्री सुरेन्द्र विश्वकर्मा	श्री हरिवंश विश्वकर्मा	10.10.1984	समाजशास्त्र	नेट–दिसम्बर–2012
2. श्री चन्द्र विजय सिसोदिया	श्री दुर्गविजय सिंह	30.12.1974	प्रा0इतिहास	नेट–दिसम्बर–2001
3. श्री विकास सिंह	श्री कमल सिंह	15.03.1987	अंग्रेजी	नेट–दिसम्बर–2012
4. जय माला राजन	श्री सरमन सिंह राजन	01.01.1988	गृहविज्ञान	नेट–जून– 2011
5. श्री नीरज कुमार सिंह	श्री राम बहादुर सिंह	20.10.1986	भूगोल	नेट–जून– 2012
6. श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह	22.05.1988	संस्कृत	नेट–दिसम्बर–2011
7. श्री प्रशान्त सिंह	श्री रणधीर सिंह	27.07.1992	हिन्दी	नेट–दिसम्बर–2011

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति प्रवक्ता एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंषदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रुप से लागू किया जाय।

भवदीय

कुलसचिव